



## 1 महत्वपूर्ण निर्देश

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1.1** प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार हैं।  
The instructions related to the admissions given here are as per the Act, Ordinances, Rules & Regulations of the University.
- 1.2** गैप प्रमाण-पत्र: यदि स्नातक परीक्षा/अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का 1001रु. के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रवेश के समय जमा करें।  
Gap Certificate: If there is gap in taking admission after graduation/qualifying examination, then a certificate by the Notary on Rs. 10.00 Stamp paper has to be submitted at the time of admission.
- 1.3** यदि आप आरक्षण (reservation) अथवा शून्य शुल्क (zero fee) का लाभ चाहते हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का विवरण आनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।  
If you want benefit of reservation or zero fees, then give the details of the related certificates during the filling of the Online application form. No candidate will get the permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted.
- 1.4** प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमितरूप से देखते रहें।  
The detailed information of the admission procedure will be displayed on the University website. Candidates are advised to check the University website regularly for updates.
- 1.5** योग्यता सूची घोषित होने पर इसकी प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को स्वयं अपना योग्यता-क्रमांक, योग्यता-सूची से ज्ञात करना होगा। योग्यता-सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जायेगी।  
After declaration of the merit list a copy of the list will be displayed on the University website. The candidate himself/herself will find his/her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper.
- 1.6** वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ अनुमत्त होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।  
The benefit of reservation will be permissible only to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates originally belonging to Uttar Pradesh. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates of other states will be treated as general candidate.
- 1.7** रजिस्ट्रेशन के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।  
All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances.
- 1.8** छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।  
As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken against the students who indulge in incidence like ragging during studentship.
- 1.9** वे अभ्यर्थी जो किसी भी विश्वविद्यालय/विद्यालय/संस्था से निष्कासित किये गये हैं अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधी पाये गये हैं वह लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिये अयोग्य होंगे।  
Those candidates who have been expelled from any University/College/Institution or found guilty under Indian Penal Code are not eligible to apply for any course in the University of Lucknow.
- 1.10** आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।  
The reservation shall be given as permissible under the Uttar Pradesh Government / University Rules.
- 1.11** जाति तथा आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।  
Caste and income certificates shall be verified on Government website.



### 2 शिक्षा संकाय के एम. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश

#### ADMISSION IN THE FACULTY OF EDUCATION FOR THE M.Ed. PROGRAM

- 2.1 लखनऊ विश्वविद्यालय का द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम शिक्षा संकाय में संचालित होता है। एम.एड. के अतिरिक्त इस संकाय में द्विवर्षीय बी.एड. तथा द्विवर्षीय एम.ए. (शिक्षा शास्त्र) पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। संकाय में शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान (पी-एच. डी. तथा डी. लिट्.) की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। संकाय के अध्यापक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए जाने जाते हैं। इस संकाय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय दर्शन एवं एलीमेंट्री एजुकेशन के विशेष क्षेत्र के लिये विशेष सहायता कार्यक्रम (SAP) हेतु चुना गया है। यह संकाय इन विशेष क्षेत्रों में संसाधन केन्द्र के रूप पहचाना जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रकाशन यहां सम्पन्न होते रहते हैं। संकाय में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों एवं स्कूल प्रधानाचार्यों के अभिमुखीकरण तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित होते रहते हैं। इन सब विशेष कार्यक्रमों के कारण यह संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और सम्पूर्ण उत्तर भारत के विश्वविद्यालयीय शिक्षा संकायों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में इसका विशिष्ट स्थान है।

Two years M.Ed. Course of University of Lucknow is conducted by its Faculty of Education. In addition to M.Ed., this Faculty runs two years B.Ed. and two years M.A. (Education) courses. Faculty is equipped with modern facilities and infrastructure of research (for Ph.D. & D.Litt.) in Education. The teachers of the Faculty are known for conducting and supervising research on various aspects of Primary, Secondary, Higher and Teacher Education. The University Grants Commission has included the Department of Education in its Special Assistance Programme (SAP) for the thrust areas: 'Indian Philosophy' and 'Elementary Education'. The Faculty is gaining recognition as resource center in these areas and conducts national level seminars, workshops and colloquia. This Faculty, at times, conducts orientation programmes and refresher courses for elementary and secondary teacher educators, secondary teachers and school principals in various concepts and practices of Education. Due to these achievements, the Faculty has raised itself to a special status in Lucknow University and has also come up in the frontline of the Faculties of Education and Teachers Education Institutes of North India.

- 2.2 एम. एड. पाठ्यक्रम अध्यापक-प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए समर्पित है। इस पाठ्यक्रम की अवधि दो अकादमिक सत्र है जो प्रत्येक साढ़े चार माह के चार सेमेस्टर्स में विभाजित है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश एम. एड. प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश शासन तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों एवं लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली के आधार पर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय द्वारा किया जाता है।

M.Ed. programme is devoted to preparation of Teacher Educators. Duration of this course is two academic sessions divided into four semesters of four and a half months each. Admission to this course is done on the basis of M.Ed. Entrance Test conducted by the university in accordance with the orders of Govt. of U.P., Lucknow University statutes and regulations of NCTE.

- 2.3 एम. एड. एक पूर्णकालिक, व्यावसायिक, उच्च सैद्धान्तिक एवं शोधपरक पाठ्यक्रम है जिसमें अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से विविध गतिविधियाँ पूर्ण करनी होती हैं। विद्यार्थियों से कठोर परिश्रम एवं निरन्तरता अपेक्षित है। वे प्रायः सत्र पर्यन्त अति व्यस्त रहते हैं। इसलिए अंशकालिक पाठ्यक्रम के साथ एम0 एड0 करने की अनुमति नहीं है तथा इस कार्यक्रम के साथ किसी अन्य कोर्स या कार्य की अनुमति नहीं है। विद्यार्थियों को न्यूनतम 75% उपस्थिति देना अनिवार्य है।

M.Ed. is a full time, professional, highly theoretical and research oriented course involving a variety of activities aimed at preparation of teacher educators. Students are expected to put in very hard work. They often remain busy throughout the session. Therefore, M.Ed. is not allowed as a part time course and M.Ed. students are not allowed to do any other course or job with this programme. Students are required to put in at least 75% of attendance.



- 2.4** इस पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में लगभग 10 दिनों की शैक्षिक यात्रा के लिए सभी विद्यार्थियों को किसी शैक्षिक महत्व के स्थान, संस्थान अथवा नगर की यात्रा एवं वहाँ प्रवास करना पड़ता है जो प्रायः उत्तर प्रदेश के बाहर होता है। यह शैक्षिक यात्रा एम.एड. का आवश्यक अंग है तथा इसका मूल्यांकन एम. एड. परीक्षा हेतु किया जाता है। अतः जो व्यक्ति इस प्रकार की यात्रा और प्रवास की स्थिति में न हों या इसे करने में अन्यथा असमर्थ हों उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एम. एड. प्रवेश हेतु आवेदन न करें।  
All M.Ed. students are required to go for educational excursion and stay at any place, University/Institute or city of educational importance, generally outside U.P. for about 10 days. This educational tour is an essential part of M.Ed. and counts for the final M.Ed. Examination result. Individuals who are not fit for this Educational Tour or due to some reason are unable to go on tour and stay outside are advised not to apply for admission in M.Ed.
- 2.5** अर्हता  
**Eligibility Criteria**
- 2.5.1** विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी संस्था से B.Ed., B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.El.-B.Ed., & D.El.Ed. with an undergraduate Degree (उपाधि) अथवा मान्यता प्राप्त बी. टी. सी. अथवा एल. टी. डिप्लोमा अथवा समकक्ष परीक्षा 50% अंक के साथ उत्तीर्ण कर ली हो।  
Candidates having B.Ed., B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.El.-B.Ed., & D.El.Ed. with an undergraduate Degree or a recognized BTC or LT diploma or equivalent with 50% marks in aggregate from a University established by law and recognized by the University Grants Commission.
- 2.6** अभ्यर्थी एक साथ दो परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन नहीं कर सकता है।  
A candidate can not pursue two Postgraduate degree courses simultaneously.
- 2.7** योग्यता सूची सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध रहेगी तथा इसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा।  
Final Merit list shall be available in the concerned Departments and same will be available on the University website.
- 2.8** लखनऊ विश्वविद्यालय किसी भी प्रवेश को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार रखता है।  
Lucknow University reserves the right to cancel any admission at any stage.
- 2.9** एम.एड. प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।  
In case of any matter related to the M.Ed. Admissions, the decision of the Vice-Chancellor/Admission Committee, Lucknow University shall be final and binding.
- 2.10** ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान वर्ष में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।  
Candidates who are appearing in the qualifying examination in the current year can apply for admission but they should fulfill all eligibility conditions on the day of admission.
- 2.11** एम.एड. प्रवेश से सम्बन्धित सभी विधिक मामलों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।  
All the legal matters pertaining to the M.Ed. Admissions shall be subject to the Lucknow Jurisdiction only.



3

## आरक्षण नीति

### RESERVATION POLICY

सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे

All reservations would be given as per State Government policies and University guidelines

3.1

उर्ध्वार आरक्षण

maximum percentages  
अधिकतम आरक्षण

### Vertical Reservation

3.1.1

Scheduled Caste\*

21%

अनुसूचित जाति

3.1.2

Scheduled Tribe\*

2%

अनुसूचित जनजाति

3.1.3

OBC (Non Creamy Layer)\*

27%

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) \*

\*वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

\*The scheduled caste, scheduled tribes and other backward class candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled castes, scheduled tribes and other backward class candidates of other states will be treated as general.

3.2

क्षैतिज आरक्षण

### Horizontal Reservation

3.2.1

Son/daughter / spouse of LU Teachers/Employees

As per University  
rules

लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

3.2.2

Son/daughter/spouse of LU affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College

As per University  
rules

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

3.2.3

Physically Handicapped/Disabled

3%

विकलांगों के लिए (including 1% for blinds) (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)

3.2.4

Son / Daughter / Grand Son / Grand Daughter of Freedom Fighters from U.P.

2%

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री के लिए

3.2.5

Son/Daughter of Retd. Defence Personnel or Physically Handicapped Defence Personnel or Defence Personnel killed in war or Defence Personnel posted in UP.

5%

सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिकरूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए

3.3

वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी

### Competent authorities for issuance of certificates

3.3.1

विकलांग

जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Physically Handicapped (3.2.3)

Chief Medical Officer of District

3.3.1

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी

जिलाधिकारी

Freedom Fighter (3.2.4)

District Magistrate



## M.Ed. Admission Guidelines

- 3.3.3** अनुसूचित जाति \*  
Scheduled Caste (3.1.1) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.4** अनुसूचित जनजाति \*  
Scheduled tribes (3.1.2) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.5** अन्य पिछड़ा वर्ग \*  
Other backward class (3.1.3) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.6** आय-प्रमाणपत्र (छ: माह के अन्दर ही निर्गत हो) \*  
Income certificate (issued within 6 months) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.7** विश्वविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी  
Teachers/ Employees of University (3.2.1) कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रवेश के वर्ष के 01 मार्च या उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।  
Registrar, University of Lucknow. The certificates issued on or after 1st March of the year of admission will only be considered.
- 3.3.8** राजकीय अनुदान प्राप्त लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक  
Teacher of the affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College (3.2.2) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रवेश के वर्ष के 01 मार्च या उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।  
Principal of the college. The certificates issued on or after 1st March of the year of admission will only be considered.

\* आरक्षण तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से सत्यापित किया जायेगा।

\* Caste & Income certificates shall be verified from relevant Government websites.



- 4 प्रवेश प्रक्रिया  
**ADMISSION PROCEDURE**  
एम. एड. कक्षा में प्रवेश के तीन आधार होंगे  
There will be three basis for admission to the M.Ed. program
- 4.1 लिखित परीक्षा  
**Written test**
- 4.1.1 लिखित परीक्षा तीन घंटों की होगी जिसमें निम्न भाग होंगे  
The written test will be of three hours and would comprise of the following
- |                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 4.1.1.1            | मानसिक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ)<br>Mental Ability Test (Multiple Choice)     | 100 marks  |
| 4.1.1.2            | विषय अभिक्रमता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ)<br>Subject Competence Test (Multiple Choice) | 80 Marks   |
| 4.1.1.3            | विषय अभिक्रमता परीक्षा (लघुउत्तरीय)<br>Subject Competence Test (Short Answer)    | 20 Marks   |
| 4.1.1.4            | भाषा बोध (हिन्दी) परीक्षा<br>Language Comprehension (Hindi) Test                 | 25 Marks   |
| 4.1.1.5            | भाषा बोध (अंग्रेजी) परीक्षा<br>Language Comprehension (English) Test             | 25 Marks   |
| <b>Total Marks</b> |  | <b>250</b> |
- 4.1.2 लिखित परीक्षा तीन घंटों की होगी। जिसमें 2 घण्टे मानसिक योग्यता परीक्षण (4.1.1.1) तथा विषय अभिक्रमता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ) (4.1.1.2) के लिये होंगे। विषय अभिक्रमता परीक्षा (लघुउत्तरीय) (4.1.1.3) तथा भाषा बोध (4.1.1.4 and 4.1.1.5) के लिये 1 घण्टे का समय दिया जाएगा।  
The entrance test will be of three hours. Two hours will be for Mental Ability (4.1.1.1) and Subject Competence test (Multiple Choice) (4.1.1.2). The Subject Competence Test (Short Answer) (4.1.1.3) and Language Comprehension Test (4.1.1.4 and 4.1.1.5) will be of one hour.
- 4.1.3 सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे इसके लिये OMR पत्रक दिया जाएगा।  
Mental Ability Test will comprise of 100 objective type questions, for this OMR sheet will be given.
- 4.1.4 विषय अभिक्रमता परीक्षण  
**Subject Competence Test**  
विषय अभिक्रमता परीक्षण में प्रश्नपत्र का आधार लखनऊ विश्वविद्यालय का वर्तमान बी.एड. पाठ्यक्रम होगा।  
Questions in the Subject competence test will be based on the B.Ed. syllabus of the University of Lucknow.
- 4.1.4.1 इस खण्ड में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके लिये अलग OMR पत्रक दिया जाएगा।  
This section will comprise of 80 objective type questions, for this a separate OMR sheet will be given.
- 4.1.4.2 इस खण्ड में 10 लघुउत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे।  
This section will also comprise of 10 short answer questions.
- 4.1.5 भाषा बोध परीक्षा में भाषायी समझ व कौशल की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों खण्डों के प्रश्न हल करने होंगे।  
The Language Comprehension section will assess the competence to understand languages. Candidates have to attempt both Hindi and English sections.



## 4.2 शैक्षिक अभिलेख गुणांक Academic Index Weightage

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी
	60% तथा अधिक more than 60%	55% व अधिक	55% से कम	
4.2.1 हाई स्कूल High School	5	3	3	1
4.2.2 इण्टरमीडियेट Intermediate	5	3	3	1
4.2.3 स्नातक Graduation	10	7	5	2
4.2.4 बी.एड. या समकक्ष B.Ed. or equivalent	15	11	7	3
4.2.5 स्नातकोत्तर Post Graduation	15	11	7	3

शैक्षिक अभिलेख के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अन्तर्गत हाईस्कूल से लेकर बी.एड. तक तथा एम.ए./एम.एस-सी./एम. काम. के परीक्षाफल पर गुणांक दिए जाएंगे।

## 4.3 साक्षात्कार Interview

4.3.1 साक्षात्कार के अन्तर्गत अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति क्षमता, विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल/योग्यता एवं रुझान तथा व्यक्तित्व गुणों आदि की परख की जाएगी। यह अधिकतम 10 अंक का होगा।

Interview will be to assess the power of expression, subject knowledge, teaching ability and personality of the candidate. This will be for a maximum of 10 marks.

## 4.4 अंतिम मेरिट सूची Final Merit

4.4.1 एम.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में सम्मिलित हुए हों।

Only those candidates would be eligible for admission to the M.Ed. program who have participated in both the written test and interview.

4.4.2 एम.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु मेरिट सूची कुल 310 अंको के आधार पर तैयार की जायेगी। यह लिखित परीक्षा (250 अंक) शैक्षिक अभिलेख गुणांक (50 अंक) तथा साक्षात्कार (10 अंक) में प्राप्त अंको के कुल योग पर आधारित होगा।

Final merit for admission to M.Ed. will be prepared out of maximum 310 marks. This will be determined by adding the marks obtained in the written test (250 marks), academic index weightage (50 marks) and interview (10 marks).

योग्यता के क्रम को निम्नलिखितरूप में निर्धारित किया जायेगा :-

Order of Merit will be determined as follows:-

4.4.3 यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

If two or more candidates have secured equivalent marks/rank in the merit Index, then the merit for admission will be determined as follows:-

4.4.3.1 यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने बी.एड. या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

If the marks obtained by the candidates in the entrance are same in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at B.Ed. or equivalent examination.



**4.4.3.2** यदि अभ्यर्थियों के बी.एड. या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने स्नातक परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

If the marks secured in the B.Ed. or equivalent examination are same in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at Graduation examination.

**4.4.3.3** यदि अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने कक्षा 12 परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

If the marks secured in the Graduation examination are same in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at Class 12 or equivalent examination.

**4.4.3.4** यदि अभ्यर्थियों के कक्षा 12 परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

If the marks secured in the Class 12 examination are same in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at High School or equivalent examination.

**4.4.3.5** यदि अभ्यर्थियों के हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जो में आयु में वरिष्ठ हो।

If the marks secured in the High School or equivalent examination are same in such cases first preference will be given to the older candidate.

**4.4.4** प्रवेशार्थियों को भारण का लाभ (लागू होने की स्थिति में) योग्यता सूचकांक के आधार पर दिया जायेगा।

Candidate shall be entitled to weightage (if any) on the merit index.